2022/315

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट
श्री हरीराम राजपुरोहित
जाति राजपुरोहित
निवासी तंवरी वाया कालन्द्री
जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005 मुकदमा नं. 46 वर्ष 2022

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
22.08.2022	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 27.06.2022, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलांट द्वारा दिनांक 08.04.2022 को लिखित में ज्ञापन जन अभाव अभियोग निराकरण समिति की बैठक में दिया गया कि सक्षम अधिकारी द्वारा सक्षम न्यायालय में अपील(निगरानी) प्रस्तुत कर श्री सारणेश्वर महादेव माफी देवस्थान की खातेदारी जमीन मौजा ग्राम तंवरी में अन्य लोगों के नाम दर्ज म्यूटेशन को निरस्त करने हेतु परिवाद दर्ज करवाया गया था। इस सम्बन्ध में की गई समस्त कार्यवाही की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 27.06.2022, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलांट द्वारा दिनांक 08.04.2022 को लिखित में ज्ञापन जन अभाव अभियोग निराकरण समिति की बैठक में दिया गया कि सक्षम अधिकारी द्वारा सक्षम न्यायालय में अपील(निगरानी) प्रस्तुत कर श्री सारणेश्वर महादेव माफी देवस्थान की खातेदारी जमीन मौजा ग्राम तंवरी में अन्य लोगों के नाम दर्ज म्यूटेशन को निरस्त करने हेतु परिवाद दर्ज करवाया गया था। इस सम्बन्ध में की गई समस्त कार्यवाही की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट को चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। Signature Not Verified Digitally signed by Bhanwar Lal Date: 2023.03.01 13:43:31 IST Reason: SelfAttested (डॉ. भंवर लाल) जिला कलक्टर, सिरोही	

Scanned with CamScanner